निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–95/05
दायरा दिनांक :–08.12.2005
निर्णय दिनांक :– 25.04.2022

उनवान

1. गिर्राज पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील व जिला बारां।
2. हेमराज आत्मज रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील व जिला बारां।
3. भूली बैवा रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र परसराम जाति किराड निवासी बडा तहसील व जिला बारां।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी ए एक्ट
निर्णय दिनांक :–25.04.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के खाते व कब्जे स्वामित्व की आराजी वाके माल बड़ा में ख0नं0 840 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 937 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 1058 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 1180 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 1183 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1185 रकबा 1.67 है0, ख0नं0 1606 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 1620 रकबा 1.52 है0, ख0नं0 1621 रकबा 1.27 है0, ख0नं0 1622 रकबा 1.92 है0, ख0नं0 1689 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 1696 रकबा 1.37है0 कुल 12 किता कुल रकबा 10.00 है0 स्थित है। वादीगण के आराजी ख0नं0 1185 रकबा 1.67 है0 दक्षिणी ओर प्रतिवादी की आराजी ख0नं0 1186 रकबा 1.42 है0 वाके माल बड़ा में स्थित है।

प्रतिवादी ने उसकी सीमा से आगे बढकर वादीगण की आराजी ख0नं0 1185 में जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर वादीगण ने पटवारी हल्का से पेमाईश करवाकर पत्थरगढी करवा दी तथा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में एबीसीडी भूमि जो वादीगण के खाते की है पर प्रतिवादी जबरन कब्जा करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी को हरचन्द वहा गया कि वह अवेधानिक कृत्य कर वादीगण को परेशान व जैरबार न करे लेकिन प्रतिवादी ने धमकी दी है। कि वह तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बारॉं

Scanned with CamScanner

...तोडी हिस्से को हांक कर ही रहेगा, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी को वादीगण की आराजी उपरोक्त पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रतिवादी कल दिनांक 17.10.05 को धमकीदी है कि वह उक्त आराजी पर अपनी फसल सरसों बोकर रहेगा। यदि प्रतिवादी अपने अवेधानिक कृत्य में सफल हो गया तो वादीगण को अनावश्यक रूप से विवादों में उलझना पडेगा, इस कारण वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी गण की और से जवाब दावा पेश हुआ। वादी द्वारा अपने वाद पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बडा सम्वत 2029–32, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बडा सम्वत 2038–57 नकल पेमाईश रिपोर्ट दिनांक 18.10.2000, नकल जमाबन्दी ग्राम बडा सम्वत 2061–64 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बडा पेश किया गया। साक्ष्य वादी में हेमराज के बयान कराये गये प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में छीतरलाल का शपथ पत्र पेश हुआ।

वदी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

तनकी नं0 1 आया कि वादी के खाते की आराजी ख0नं0 1185 रकबा 1.67 है0 में प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया और कब्जा करने की धमकी दी है अतः प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। **वादी**

तनकी नं0 2 आया कि वादी ने अपने कब्जे काश्त बाबत पेमाईश कराकर पत्थरगढी कराई उसके बाद भी प्रतिवादी जबरन कब्जा करने पर आमादा है। **वादी**

तनकी नं0 3 आया कि पटवारी हल्का द्वारा की गई पेमाईश रिपोर्ट अवेध व प्रतिवादी के प्रभावहीन है। **प्रतिवादी**

तनकी नं0 4 आया कि वादी द्वारा झूठे तथ्यो पर दावा पेश किया है जो खारिज योग्य है। **प्रतिवादी**

तनकी नं0 5 दादरसी

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दोरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके बडा में स्थित है। जो वादीगण के खाते व कब्जे काश्त में दर्ज है। प्रतिवादी गण वादीगण की भूमि ख0नं0 1185 में जबरन घुसकर कब्जा करना चाहता है। जिस पर वादी द्वारा हल्का पटवारी पर पेमाईश करवा कर पत्थरगढी करवा ली फिर भी प्रतिवादी गण वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

Scanned with CamScanner

को पाबन्द किया जावे कि वह वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

बहस के दोरान वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी द्वारा प्रतिवादी की अनुपस्थिति में पेमाईश रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। वादी द्वारा यह दावा प्रतिवादी की भूमिपर जबरन कब्जा करने एवं प्रतिवादी को पाबन्द करवाने की नियत से पेश किया है वादी द्वारा उसकी भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होने का ज्ञान कब हुआ। तथा विवादित आराजी की पेमाईश किसे करवाई तथा वादी को बेदखली हेतु वाद कारण किस दिन पेदा हुआ। इसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सनुी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी नं 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल जमाबन्दी ग्राम बडा सम्वत 2029–32 के अनुसार विला नाम काबिज काश्त दर्ज रिकाड है। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बडा सम्वत 2038–57 के अनुसार साबिक ख0नं0 915 मि के हाल ख0नं0 1186, 1187 बने है, नकल पेमाईश रिपोर्ट दिनांक 18.10.2000 के अनुसार भू0अभि0निरीक्षक कोयला, पटवारी हल्का बडा व कोयला,मियाडा सहित मोके पर पहुंचे इनके द्वारा ख0नं0 1186 रकबा 1.42 है0 भूमि की पेमाईश करवाई गई। उससे पहले प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1186 रकबा 1.42 है0 का नक्शा लटठे से रकबे का मिलान किया जो सही पाया गया। इसके उपरान्त नक्शे लट्ठे के कोनो का नाप किया जाकर मोके पर जरीब द्वारा नाप लेकर निशानात लगवाये गये। नकल जमाबन्दी ग्राम बडा सम्वत 2061–64 खाता सं0 118 में वादी छीतरलाल पुत्र परसराम कोम किराड सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। जिसे कोई अधिकार नहीं है। वादी प्रतिवादी को पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं 2 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल पेमाईश रिपोर्ट दिनांक 18.10.2000 के अनुसार वादी की भूमि की पेमाईश टीम गठित कर करवाई गई। जिससे प्रतिवादी संतुष्ठ नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। वादी के द्वारा पेमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने के बावजूद प्रतिवादी वादी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। जिसे कोई अधिकार नहीं है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...नं 3 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। पेमाईश रिपोर्ट दिनांक 18.10.
...00 को वादी टीम गठित कर पेमाईश करवाई गई। प्रतिवादी द्वारां अवेध व प्रतिवादी के प्रभावहीन बताया गया है। वादी द्वारा टीम गठित कर पेमाईश रिपोर्ट शून्य एवं प्रभावहीन नहीं हो सकती प्रतिवादी का वादी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास विफल होने से प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा टीम गठित द्वारा करवाई गई पेमाईश रिपोर्ट को प्रभावहीन बताने में कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आये और ना ही पेमाईश रिपोर्ट को प्रभवाहीन साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं 4 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा दावा झूठे तथ्यो के आधार पर वादी द्वारा पेश करने का कोई ठोस आधार एवं दस्तावेज साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये है। जिससे वादी का दावा झूठे तथ्यों के आधार पर किया जाना साबित हो सके। इससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करता है। जो सफल नहीं होने पर दावा झूठे तथ्यों के आधार पर पेश होना बताया है। प्रतिवादी वादी के दावा को झूठ साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के आधार पर यह साबित होता है। कि प्रतिवादी, वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये जिससे वादी का दावा झूठा साबित हो सकें। वादी द्वारा अपने खाते की पेमाईश टीम गठित कर करवाई गई थी। जिसे प्रतिवादी अवेध व प्रभावहीन साबित करने में विफल रहें है। प्रतिवादी द्वारा वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तहसील बारां की आराजी ख0न0 1185 रकबा 1.67 है0 में वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे। और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर ... इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 95/05	धारा अन्तर्गत 188 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक :–25.04.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

1. गिर्राज पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील व जिला बारां।
2. हेमराज आत्मज रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील व जिला बारां।
3. भूली बैवा रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील व जिला बारां।

बनाम

छीतरलाल पुत्र परसराम जाति किराड निवासी बडा तहसील व जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तहसील बारां की आराजी ख0न0 1185 रकबा 1.67 है0 में वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे। और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 25.04.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	व्ययानुतोष प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner